रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122021-231735
CG-DL-E-09122021-231735

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4738] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 9, 2021/अग्रहायण 18, 1943
No. 4738] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 9, 2021/AGRAHAYANA 18, 1943

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(मुद्रण निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5112(अ).—यतः, मुद्रण निदेशालय (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का एक सम्बद्ध कार्यालय) के उप निदेशक (तकनीकी)/प्रबंधक को नियुक्ति प्राधिकारी घोषित कर दिया गया है और उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के संदर्भ में भारत सरकार के मुद्रणालयों के समूह 'ग' और समूह 'घ' के कुछ पदों (मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में समूह 'ग' में क्रमोन्नत) के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं;

और यतः,पदधारी की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उपनिदेशक (तकनीकी)/प्रबंधक, मुद्रण निदेशालय का पद 1 नवंबर, 2021 से खाली हो गया है और इसके कुछ और समय तक खाली रहने की संभावना है;

और यतः, प्रबंधक के पद पर नियमित पदधारी की अनुपस्थिति में भारत सरकार के मुद्रणालयों/पाठ्यपुस्तक मुद्रणालयों के सुचारू रूप से कार्य निष्पादन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के कार्यों जिनकी शक्तियों का अब तक उप निदेशक (तकनीकी)/प्रबंधक द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है, के निष्पादन के लिए व्यवस्था करने की अविलंब आवश्यकता है।

अब, इसलिए, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2) और नियम 12 के उप-नियम (2) के अनुसरण में,मुद्रण निदेशालय में उप निदेशक (तकनीकी)/प्रबंधक के पद पर नियमित नियुक्ति होने अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार के मुद्रणालयों/पाठ्य पुस्तक मुद्रणालयों में समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों (मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में समूह 'ग' में क्रमोन्नत) के संबंध में प्रबंधक के पद में निहित नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में उप निदेशक (तकनीकी)/प्रबंधक के पद के अतिरिक्त प्रभार हेतु एतद्वारा उप निदेशक (ए-I) और उप निदेशक (ए-II), मुद्रण निदेशालय को अधिकृत किया जाता है।

[फा. सं. ए-12034/4/2021-प्रशा.II मुद्रण-यूडी]

जी.पी. सरकार, निदेशक (मुद्रण)

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(Directorate of Printing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2021

S.O. 5112(E).—Whereas, the Deputy Director (Technical)/Manager in the Directorate of Printing (an attached Office of Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, New Delhi) has been declared as the appointing authority and has also been conferred with the powers of disciplinary authority and appellate authority in respect of certain Group 'C' and Group 'D' posts (upgraded to Group 'C' as Multi Tasking Staff) in the Government of India Presses, in terms of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965;

And whereas, the post of Deputy Director (Technical)/Manager, Directorate of Printing had fallen vacant from the 1st November, 2021, consequent upon the superannuation of the incumbent and is likely to be vacant for some more time;

And whereas, there is an urgent need to make an arrangement to provide for the performance of the functions of the appointing authority, disciplinary authority and appellate authority hitherto exercised by the Deputy Director (T)/Manager for smooth functioning in the Government of India Presses/Text Book Presses in the absence of a regular incumbent to the post of Manager;

Now, therefore, in pursuance of Sub-rule (2) of Rule 9 and Sub-rule (2) of Rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, it is hereby authorized the additional charge of the post of Deputy Director (T)/Manager to Deputy Director (A-I) and Deputy Director (A-II), Directorate of Printing in the Ministry of Housing and Urban Affairs to exercise powers of the appointing authority, disciplinary authority and appellate authority vested in the post of Manager in respect of Group 'C' and Group 'D' posts (upgraded to Group 'C' as Multi Tasking Staff) in the Government of India Presses/Text Books Presses till regular appointments are made to the post of Deputy Director (Technical)/Manager in Directorate of Printing or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-12034/4/2021-Admin.II Prtg-UD]

G. P. SARKAR, Director (Ptg.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.09 20:20:24 +05'30'